सं0–128/XXVIII–4–2006–21/2006

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4 देहरादून: दिनांक : 29 मार्च, 2006

विषय: वित्तीय वर्ष 2005–06 में सामुदायिक स्वास्थ्य खाड़ी, जनपद टिहरी के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प/1/सी0एच0सी0/45/2005/6291 दिनांक 4.03.2006 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2005–06 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खाड़ी, जनपद टिहरी के आवासीय तथा अनावासीय भवन निर्माण हेतु रू0 1,89,70,000.00 (रू0 एक करोड नवासी लाख सत्तर हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में संलग्न बी0एम0–15 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों के व्ययवर्तन रू0 50,00,000.00 (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

1– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2– कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3– उक्त धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण ऐजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा तथा किसी भी दशा में लागत पुनरीक्षित नही की जायेगी ।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानों मे

बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

5— आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों मे जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हों, कि स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6— कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7— कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक हैं। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8— एक मुश्त प्राविधन को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10— कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों

तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

11— आगणन को जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

12— स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्गत किया गया है।

13— निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टियों मे बदलाव आता है तो इस दशा में शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14— निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15– उक्त भवनों के कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े ।

16– उक्त व्यय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक मे अनुदान संख्या –12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें–आयोजनागत, 104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना–02–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण का (विस्तार अंश), 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0–15 के कालॅम–1 की बचतों से वहन किया जावेगा ।

17– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–1214/वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–3/2006 दिनांक 26 .03.2006 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या –128(1) /xxviii–4–06–21/06 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4– जिलाधिकारी टिहरी ।
5– मुख्य चिकित्साधिकारी टिहरी ।
6– अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, उत्तरांचल।
7– निजी सचिव मा0मुख्यमंत्री।
8– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून ।
9– वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन.आर.सी.
10– आयुक्त कुमाऊं/गढवाल मण्डल, उत्तरांचल ।
11– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव